राजस्थान सरकार
खान एवं पैट्रोलियम (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.12(25)खान/ग्रुप–2/2024 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षर

आदेश

बजट घोषणा 2024–25 की पालना में वोल्यूमेट्रिक अससमेंट पद्धति लागू करने हेतु आर.एम.एम.सी.आर, 2017 में अधिसूचना दिनांक 24.10.2024 से संशोधन कर ड्रोन सर्वे के संबंध में नियम 28(2)(iv)(dd) में किये गये संशोधन के अनुसार प्रत्येक वर्ष में माह अप्रैल व मई में ड्रोन सर्वे करवाया जाकर डिजिटल एलिवेशन मोडल एवं ऑर्थोमोजिक इमेंज के रूप में वार्षिक रिटर्न के साथ प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना से नियम 29–29(A) में भी खनन पट्टों के माईनिंग प्लान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नक्शे एवं खनन पट्टों क्षेत्र के 100 परिधि का सर्वे ड्रोन के माध्यम से तैयार कर प्रस्तुत करने एवं नियम 91 में ड्रोन सर्वे के प्रावधान किये गये है।

खनन पट्टों के ड्रोन सर्वे के माध्यम से वोल्यूमैट्रिक अससमेंट एवं खनिज निर्गमन के ऑकड़ों के आधार पर उत्पन्न विसंगतियों के प्रकरणो के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 06.12.2024 से जारी की गई। योजना के अन्तर्गत खनन पट्टाधारियों को अपने खनन पट्टा क्षेत्र एवं 100 मीटर की परिधि का ड्रोन सर्वे करवाया जाकर रिपोर्ट दिनांक 30.06.2025 तक संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान किये गये है।

ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने से पर खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक देय मांग राशि के संबंध में पट्टाधारी को लिखित में सूचित किये जाने एवं पट्टाधारी द्वारा दिनांक 31.03.2026 तक देय राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करवाये जाने का प्रावधान किया गया।

गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 12.06.2025 के अनुसार ड्रोन सर्वे पर रोक लगा दिये जाने से शासन के आदेश दिनांक 13.06.2025 के द्वारा पट्टाधारी को दिनांक 31.12.2025 तक ड्रोन सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक देय मांग राशि के संबंध में पट्टाधारी को लिखित में सूचित किये जाने एवं पट्टाधारी द्वारा दिनांक 31.07.2026 तक देय राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करवाये जाने बाबत संशोधन किया गया।

राज्य में ड्रोन संचालन पर लगाई गई रोक के संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग द्वारा किसी भी ड्रोन संचालन को ड्रोन नियम, 2021 के प्रावधानों और नागरिक उडडयन महानिदेशालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Saraswat
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.01.22 19:11:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20079024

(डीजीसीए) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालना में पूर्व में लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 01.10.2025 से नागरिक ड्रोन परिचालन पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया जाने पर निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान, उदयपुर के प्रस्ताव के क्रम में एकमुश्त समाधान योजना हेतु ड्रोन सर्वे करवाकर आकड़े प्रस्तुत करने, ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने से पर खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा पट्टाधारी को लिखित में सूचित किये जाने एवं पट्टाधारी द्वारा देय राशि एकमुश्त अथवा समान मासिक किश्तों में जमा करवाये जाने की समय सीमा निम्नानुसार बढ़ाई जाती है:–

क्र.सं.	विवरण	एकमुश्त योजना में निर्धारित तिथि	बढ़ाई गई तिथि
1	ड्रोन सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की तिथि	31.12.2025	31.03.2026
2	ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने से पर खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा पट्टाधारी को लिखित में सूचित किये जाने की तिथि	31.01.2026	30.04.2026
3	पट्टाधारी द्वारा देय राशि एकमुश्त अथवा समान मासिक किश्तों में जमा करवाये जाने की तिथि	31.07.2026	31.10.2026

उक्त समयावधि विस्तार के अतिरिक्त एकमुश्त समाधान योजना के बिन्दु संख्या 3.5 में अभिव्यक्ति ***"दिनांक 01.07.2025"*** के स्थान पर ***रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि*** को आरएमएमसीआर, 2017 की द्वितीय अनुसूची में प्रभावी रॉयल्टी दर प्रतिस्थापित किया जाता है।

(अरविन्द सारस्वत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, खान
3. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता।
4. समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियन्ता।
5. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Saraswat
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.01.22 19:11:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20079024